


वर्ष 2009 – 10 में देशी मदिरा रिटेल दुकान हेतु आवेदन पत्र

भाग – I
(आवेदक द्वारा भरा जाये)

1	नाम ग्राम पंचायत/नगर निगम/परिषद/पालिका(मय वार्ड संख्या) जिसमें देशी मदिरा दुकान हेतु आवेदन किया जा रहा है ।	
2	नाम जिला	
3	नाम आवेदक	
4	पिता / पति का नाम	
5	उम्र (दिनांक 1.1.2009)	
6	पूरा पता	
7	संलग्न आवेदन शुल्क व अर्नेस्ट मनी राशि रू0	
8	आवेदन शुल्क व अर्नेस्टमनी की राशि के ड्राफ्ट / रसीद संख्या व दिनांक तथा बैंक का नाम	
9	यदि आवेदक आयकर दाता है तो पेन नम्बर का उल्लेख किया जाये ।	



आवेदक द्वारा की जाने वाली घोषणा

मैं उपरोक्त उल्लेखित आवेदक घोषणा करता हूँ कि :-

- उपर अंकित की गई सूचना पूरी तरह सही है ।
- मैं आबकारी विभाग का बाकीदार नहीं हूँ तथा अनुज्ञापत्र धारण करने के लिये किसी प्रकार अयोग्य नहीं हूँ ।
- मैं राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, अनुज्ञापत्र शर्तों व समय समय पर जारी किये जा सकने वाले विभागीय निर्देशों का पूरी तरह पालन करूंगा। मेरे द्वारा इसमें से किसी का उल्लंघन करने पर आवेदन की स्वीकृति/अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा, मुझे इस बात की जानकारी है ।
- आवेदन पर स्वीकृति जारी होने की स्थिति में मैं आवेदन पत्र के साथ विभाग द्वारा दिये गये विस्तृत विवरण अनुसार निर्धारित अवधि में बेसिक लाईसेन्स फीस व धरोहर राशि की अवशेष राशि जमा करा दूंगा ।
- मुझे ज्ञात है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सूचना गलत पाई जाने पर मेरा अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी
हस्ताक्षर प्रमाणित किये गये

प्रमाणितकर्ता के हस्ताक्षर मय सील

भाग – II
(लाटरी के लिये पर्ची)


नाम दुकान/दुकान समूह :

नाम आवेदक :

आवेदक के हस्ताक्षर

भाग – III

(प्राप्ति रसीद)



श्री / श्रीमती / कुमारीपुत्र / पत्नि / पुत्रीनिवासी
द्वारा(ग्राम पंचायत / नगर पालिका मय वार्ड नम्बर) में देशी मदिरा दुकान वर्ष 2009-10 हेतु मय अर्नेस्टमनी व पहचान पत्र आवेदन आज दिनांकको प्रस्तुत किया जिसे इस क्षेत्र की दुकान / दुकान समूह हेतु आवेदन की सूची में क्रम संख्यापर दर्ज किया गया।

दिनांक : समय :

प्राप्तकर्ता कर्मचारी के हस्ताक्षर